निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1936 (शO)

संख्या २३

पटना, बुधवार, —

4 जून 2014 (ई0)

विषय-सूची

ਧੵष्ठ

भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 🕺 2-6	विधेयक, उक्त विधान मंडल में
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के	उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले
आदेश।	प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त
	विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०,	प्रकाशित विधेयक।
बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०,	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की
एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2,	ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-	जयण्ठ अनुमात मिल युका हा
एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान,	संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के
आदि।	प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	समितियों के प्रतिवेदन और संसद में
	पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9—विज्ञापन
निकाले गये विनियम, आदेश,	สาขาว—เนงแนต
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 7-20	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं,
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं	न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
और नियम, 'भारत गजट' और राज्य	सूचनाएं इत्यादि।
गजटों के उद्धरण।	
	पूरक
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक-क

पृष्ठ

21-29

_ _ _

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं 19 मई 2014

संo स0क0रथा0-01-मु0-55/2013-2279-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन समाज कल्याण निदेशालय के अधीन सहायक निदेशक, बाल संरक्षण सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
- 2. परिभाषाएँ ।- इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :-
 - (i) 'सेवा' से अभिप्रेत है बाल संरक्षण सेवा;
 - (ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
 - (iii) नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग;
 - (iv) 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग;
 - (v) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरम्भ होने की तिथि;
 - (vi) 'सीधी भर्ती' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
 - (vii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है, बाल संरक्षण सेवा में नियुक्त व्यक्ति,
 - (viii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - (ix) 'विभाग' से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग।

3. **संवर्ग की संरचना।**— यह सेवा समाज कल्याण विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगी :—

क्र0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	सहायक निदेशक	मूल कोटि
(ख)	उप निदेशक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	संयुक्त निदेशक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	अपर निदेशक	तृतीय प्रोन्नति स्तर

उक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

4. संवर्ग बल।— संवर्ग बल ऐसा होगा जो समाज कल्याण विभाग द्वारा, समय—समय पर, अवधारित किया जाय।

5. भर्ती I— (1) बाल संरक्षण सेवा का पचहत्तर प्रतिशत (75%) पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और पचीस प्रतिशत (25%) पद विभाग के अधीन नियुक्त एवं कार्यरत पात्र बाल संरक्षण पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाएगें।

(2) सभी सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर बाल संरक्षण सेवा की मूल कोटि में की जाएगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देंगे।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता विभाग में अनुशंसा–प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. अर्हताएँ I- (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

7. आरक्षण।— भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित आरक्षण⁄रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती। –सेवा के 25 प्रतिशत पदों पर समाज कल्याण विभाग के पात्र बाल संरक्षण पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षकों को प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी। प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।

9. परिवीक्षा ।— प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा अवधि दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो तो अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

10. विभागीय परीक्षा।— विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी। विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम पत्र

सेवा नियमावली।— बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम'', 2000 (समय—समय पर यथा संशोधित), बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2012, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं बिहार नियमावली, 2010, अनैतिक पणन निवारण अधिनियम, 1956 तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण।

द्वितीय पत्र

वित्तीय नियमावली – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली।

11. सम्पुष्टि ।– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सेवा सम्पुष्ट किया जाएगा।

12. वरीयता।— संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता, आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार, होगीः

परन्तु इस नियमावली के आरम्भ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी;

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. प्रोन्नति — मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी। संवर्ग के सदस्यों को, सभी प्रोन्नतियों के लिए उन्हें विभाग/ सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण ससमय प्राप्त करना होगा, किन्तु ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने की दशा में उनकी प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

14. संवर्ग का स्तर। – यह सेवा राज्यस्तरीय होगा।

15. अवशिष्ट मामले ।— ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है; संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. कठिनाई का निराकरण। — यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार समय—समय पर, ऐसा सामान्य या विशेष निदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और उक्त कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो।

17. निर्वचन ।— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ विनिश्चय विभाग द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

18. निरसन और व्यावृत्ति।— (1) इस संवर्ग से संबंधित एतत् पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प एवं अनुदेशों के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई की गई थी।

> **बिहार–राज्यपाल के आदेश से,** रामाशीष पासवान, विशेष सचिव।

The 19th May 2014

No. Estb.-55/2013-2279—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and conditions of service of the Assistant Director, Bihar Child Protection Service under the Social Welfare Directorate under control of the Department of Social Welfare.

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) These Rules may be called as the Bihar Child Protection Service (recruitment and conditions of service) Rules, 2014.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

to time.

(3) It shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette of Bihar.

2. Definitions.— In these Rules, unless the context otherwise requires :-

- (i.) "Service" means the Assistant Director, Child Protection Service;
- (ii.) "Commission" means the Bihar Public Service Commission;
- (iii.) "Appointing Authority" means Social Welfare Department;
- (iv.) **"Controlling Officer"** means Principal Secretary/Secretary, Social Welfare Department;
- (v.) **"Fixed date"** means the date of commencement of these Rules;
- (vi.) **"Direct Recruitment"** means appointment based on competitive examination held by the 'Bihar Public Service Commission';
- (vii.) "Member" means any person appointed in Bihar Child Protection Service;
- (viii.) "Government" means the Government of Bihar;
- (ix.) **"Department"** means Social Welfare Department.

3. *Cadre structure.*— The service shall be in the administrative control of The Social Welfare Department. The structure of the cadre of posts of different categories shall be as follows:-

Sl. No.	Name of categories	Level
(a)	Assistant Director	Basic category
(b)	Deputy Director	First promotion Level
(c)	Joint Director	Second promotion Level
(d)	Additional Director	Third promotion Level

Pay scale of the said posts shall be such as may be determined by the Government, from time

4. *Cadre strength.*— The cadre strength shall be such as may be determined by the Directorate Social Welfare, from time to time.

5. *Recruitment.*–(1) Seventy five Percent (75%) posts of Child Protection Service shall be filled up through Direct Recruitment and twenty five percent (25%) shall be filled up by Promotion from eligible Child Protection Officers/ Superintendents/ Deputy Superintendents appointed and working under the Department.

(2) All direct recruitments shall be made to the basic category on the recommendation of the Commission.

(3) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1^{st} April every year and shall send the requisition to the Commission by the 30^{th} April.

(4) The commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of Competitive Examination shall recommend the names of the candidates in order of merit to the concerned Appointing Authority. The validity of the merit-list shall be up to one year from the date of receipt of recommendation in the Department.

(5) After the due verification, the Appointing Authority shall appoint the candidate on probation for a period of 2 years.

6. *Qualification.*— (1) The minimum educational qualification shall be Graduation from any recognized university.

(2) Minimum age for recruitment shall be 21 years and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department) time to time.

7. *Reservation.*— Compliance of reservation/roster as notified by the State Government, from time to time, shall be necessary in recruitment as well as promotion.

8. *Recruitment by Promotion.*— Promotion of 25% services shall be made eligible Child Protection Officer/ Superintendent/ Deputy Superintendent of The Social Welfare Department will be given promotion according to the seniority on the recommendation of Departmental Promotion Committee. It is essential to complete the Kalavadhi determined by the General Administration Department for promotion.

9. *Probation.*—Every appointment shall be on probation for two years and in special circumstances it may be extended for further one year by the appointing authority, if the probation period is not found to be satisfactory then such extension shall be made only if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the person service is also not found satisfactory in the extended period the concerned person shall be terminated from the service.

10. *Departmental examination.*— Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue. There shall be two papers in the Departmental Examination and it will be essential to obtain 40% marks for each subject.

First Paper

Service Rules.— Bihar Service Code, Pension Rules, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (as Amended 2006), Bihar Juvenile Justice Rule 2012, Domestic Violence (Protection of Women) Act, 2005; Prohibition of Child Marriage Act, 2006 & Bihar Rules, 2010; Prevention of Immoral Trafficking Act, 1956 and Hindi Noting and Drafting.

Second Paper

Financial Rules.— Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, General Provident Fund Rules, Travelling Allowances Rules.

11. *Confirmation.* – The person on probation shall be confirmed after satisfactory completion of probation period and passing the Departmental Examination.

12. *Seniority*.- Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission:

Provided that the inter-se seniority decided before commencement of these Rules shall remain unchangeable:

Provided further that in any recruitment year the person appointed by promotion shall be senior to the person appointed by Competitive Examination in that particular recruitment year.

13. *Promotion*.—Promotion from basic category to higher category shall be given on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee constituted by the Social Welfare Department. For all promotions, all member of the cadre will have to get training determined by the Department/

Appointing Authority in time but in case of not hold training programs in time their promotion will not be obstructed.

14. *Level of cadre.*— This cadre shall be of state level.

15. *Residuary matters.*- In respect of such cases which are not particularly covered by these Rules, the members of this cadre shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the appropriate level of the officers/employees of the State Government.

16. *Removal of difficulties.*—If any difficulties arises in giving effect to the provisions of these rules, The government may, by general or special directions, from time to time such provisions which is not inconsistent with the provisions of these rules and necessary or expedient for removing the said difficulty.

17. *Interpretation.*— If any doubt in the interpretation of any provision of these rules, the decision shall be made by Department and its decision shall be final.

18. *Repeal & Savings.*—(1) All resolutions, orders, circulars issued hereinbefore related to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such resolutions and instructions shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if these Rules came into force on the day on which such work was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar, RAMASHISH PASWAN, *Special Secretary*.

19 मई 2014

सं० स0क0स्था0–01–मु0–53/2013–2283—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन समाज कल्याण निदेशालय के अधीन लेखापाल–सह–भंडारपाल संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ – (1) यह नियमावली बाल संरक्षण लेखापाल–सह–भंडारपाल संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ |- इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:--

- (i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बाल संरक्षण लेखापाल-सह-भंडारपाल संवर्ग;
- (ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
- (iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
- (iv) 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
- (v) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि;
- (vi) 'सीधी भर्ती' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
- (vii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बाल संरक्षण लेखापाल-सह-भंडारपाल सेवा में नियुक्त व्यक्ति;
- (viii) **'गृहों'** से अभिप्रेत है ''किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम'', 2000 (समय—समय पर यथा संशोधित) के अधीन संचालित गृह;
- (ix) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग।

3. संवर्ग की संरचना।— यह सेवा समाज कल्याण निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगी :—

क्र0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	लेखापाल–सह–भंडारपाल	मूल कोटि
(ख)	वरीय लेखापाल–सह–भंडारपाल	प्रथम प्रोन्नति स्तर

उक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

4. संवर्ग बल। – संवर्ग बल वही होगा जो समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन समाज कल्याण निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

5. भर्ती ⊢ (1) लेखापाल–सह–भंडारपाल का पचहत्तर प्रतिशत 75 % पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और पच्चीस प्रतिशत 25 % पद समाज कल्याण निदेशालय के योग्यताधारी बेंच क्लर्क की, वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(2) सभी सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर लेखापाल-सह-भंडारपाल की कोटि में की जाएगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगें और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजेंगे।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. अर्हता – (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उर्त्तीण होगी। लेखापाल–सह–भंडारपाल के लिए लेखा एवं रोकड़ के साथ कम्प्यूटर सक्षमता आवश्यक होगी।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

7. आरक्षण ।— भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित आरक्षण∕रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती |- (1) नियुक्ति प्राधिकार योग्यताधारी बेंच क्लर्कों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. परिवीक्षा – प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा अवधि दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थिततियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो, तो अवधि विस्तार, तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होगें और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 % अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम पत्र

सेवा नियमावली ।– बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम'', 2000 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2012 तथा टिप्पणी एवं प्रारूपण।

द्वितीय पत्र

वित्तीय नियमावली ।– कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली।

11. सम्पुष्टि – कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा एवं कम्प्युटर टंकण में दक्षता जाँच में उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट की जाएगी।

12. वरीयता – संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी;

परन्तु किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होगें।

13. प्रोन्नति ।– मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अवधारित कालावधि पूरा करने के बाद दी जा सकेगी।

संवर्ग के सदस्यों की सभी प्रोन्नतियों के लिए उन्हें ससमय विभाग/सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, किन्तु ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने की दशा में उनकी प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

14. संवर्ग का स्तर |- यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

15. अवशिष्ट मामले – ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है; संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. कठिनाई का निराकरण ⊢ सरकार समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. निर्वचन – जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

18. निरसन और व्यावृत्ति।– (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्पों एवं अनुदेशों के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

> बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रामाशीष पासवान, विशेष सचिव।

The 19th May 2014

No. Estb.-53/2013-2283—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and conditions of service of the Accountant-cum-Storekeeper Cadre under control of Department of Social Welfare and under Social Welfare Directorate.

1. *Short title, extent and commencement*— (1) These Rules may be called the Child Protection Accountant-cum-Storekeeper (recruitment and conditions of service) Rules, 2014.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall apply from the date of publication in the official Gazette.

- 2. Definitions.-In these Rules, unless otherwise requires in the context:-
 - (*i.*) **"Cadre"** means the Child Protection Accountant-cum-Storekeeper cadre.
 - (*ii.*) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission.
 - (*iii.*) "Appointing Authority" means Director, Directorate Social Welfare.
 - (*iv.*) "Controlling Officer" means Director, Directorate Social Welfare.
 - (v.) **"Fixed date"** means the date of commencement of these Rules.
 - (*vi.*) **"Direct Recruitment"** means appointment based on competitive examination held by the 'Bihar Staff Selection Commission'.
 - (vii.) "Member" means any person appointed in Child Protection Accountant-cum-Storekeeper Cadre.
 - (*viii.*) **"Homes"** means homes running under 'Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act' 2000 (as amended from time to time).
 - (*ix.*) **"Government"** means the State Government of Bihar.

3. *Cadre structure.*— This service shall be in administrative control of Directorate, Social Welfare. Cadre structure of post of different categories of this service shall be follows:-

Sl. No.	Name of categories	Level
(a)	Accountant-cum-Storekeeper	Basic category
(b)	Senior Accountant-cum-Storekeeper	First promotion Level

Scale of the said posts shall be same as may be determined by the Government from time to time.

4. *Cadre strength.* – The cadre strength shall be same as may be determined by the Directorate Social Welfare under Social Welfare Department from time to time.

5. *Recruitment.* -(1). Seventy five percent (75%) posts of Accountant-cum-Storekeeper shall be filled up by direct recruitment and twenty five percent (25%) shall be filled up by promotion of qualification holder Bench Clerk of Directorate, Social Welfare on seniority basis.

(2) All recruitments shall be made in the category of Accountant-cum-Storekeeper on the recommendation of the Commission.

(3) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the commission by the 30th April.

(4) The commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of Competitive Examination shall recommend the name of the candidates in order of merit to the concerned Appointing Authorities. The validity of the merit list shall be one year from the date of recommendation.

(5) After the due verification, the appointing authority shall appoint the candidate on probation for a period of 2 years.

6. *Qualification.*— (1) The minimum educational qualification shall be Graduation from any recognized university. Competency in Accounts and Cash along with computer shall be necessary for the Accountant-cum-Storekeeper.

(2) Minimum age for recruitment shall be 21 years and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department) time to time.

7. *Reservation.*— Compliance of reservation/roster notified by the State Government from time to time in recruitment as well as promotion, shall be necessary.

8. *Recruitment by Promotion.*— (1) Appointing authority will prepare the seniority list of qualification holder Bench Clerk.

(2) Promotion will be given according to the seniority on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

9. *Probation.*— Every recruitment will be on probation for two years and in special circumstances, it may be extended for further one year by the appointing authority, if the probation period is not found to be satisfactory, such extension shall be made only if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the person on probation not found satisfactory even after the expiry of extended period, the concerned person will be terminated from the service.

10. Departmental examination.— (1) Departmental Examination shall be conducted by the Board of Revenue.

(2) There shall be two papers in the Departmental Examination and passing marks for each subject shall be 40%.

FIRST PAPER

Service Rules.— Bihar Service Code, Pension Rules, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (as Amended from time to time), Bihar Juvenile Justice Rule 2012, and Hindi Noting and Drafting.

SECOND PAPER

Financial Rules.— Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, General Provident Fund Rules, Travelling Allowances Rules.

11. *Confirmation.*—Service of any person appointed on probation will be confirmed after satisfactory completion of probation period and passing the required Departmental Examination and passing the test of competency in typing on computer.

12. *Seniority.*— Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se seniority decided before the commencement of these Rules shall remain unchangeable.

Provided that in any recruitment year, the person appointed by promotion shall be senior to the person appointed by Competitive Examination in that particular recruitment year.

13. *Promotion.*— Promotion from basic category to higher categories may be given on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee constituted by the Social Welfare Department for this purpose after completing the 'Kalawadhi' determined by the State Government (General Administration Department).

For all promotions of the members of the cadre, they will have to be required to successfully complete the training determined by the Department/Appointing Authority but in case of not holding training in time, their promotions will not be obstructed.

14. Level of cadre.— This cadre shall be of state level.

15. *Residuary matters.*—In respect of those matters which are not specifically covered by these Rules, the members of this cadre shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the appropriate level of the officers/employees of the State Government.

16. *Removal of difficulties.*— The government may issue such general or special order, which are not inconsistent with the provisions of these rules for removal the difficulty coming into implementation of any of the provisions of these rules.

17. *Interpretation.*— If there is any doubt in the interpretation of any provision of these rules, it will be decided by Department of General Administration and its decision shall be final.

18. *Repeal & Savings.*— (1) From the date of the provisions of these rules coming into effect, all resolutions and instructions issued previously related to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such resolutions and instructions shall be deemed to have been done or under these Rules as if these Rules came into force on the day on which such anything was done or such any action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

RAMASHISH PASWAN, Special Secretary.

19 मई 2014

सं० स0क0स्था0–01–मु0–54⁄2013–2284—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत **बाल संरक्षण पदाधिकारी** संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (i) यह नियमावली बिहार बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ ।- इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :-

- (i) 'सवर्ग' से अभिप्रेत है बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग,
- (ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
- (iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
- (iv) 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
- (v) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
- (vi) **'सीधी भर्ती'** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
- (vii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति;
- (viii) 'गृहों' से अभिप्रेत है ''किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम'', 2000 यथा संशोधित 2006 अंतर्गत संचालित गृह;
- (ix) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

3. संवर्ग की संरचना — यह सेवा समाज कल्याण निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगी :-

क0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	बाल संरक्षण पदाधिकारी	मूल कोटि
(ख)	वरीय बाल संरक्षण पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर

उक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।

4. संवर्ग बल।— संवर्ग बल ऐसा होगा जो समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन समाज कल्याण निदेशालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जायेगा।

5. भर्ती ।— (i) बाल संरक्षण पदाधिकारी का 75% पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 25% पद समाज कल्याण निदेशालय के योग्यताधारी लेखापाल–सह–रोकड़पाल से भरा जाएगा।

(ii) सभी सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर बाल संरक्षण पदाधिकारी की कोटि में की जाएगी।

(iii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देंगे।

(iv) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(v) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए की जाएगी।

6. अर्हता I- (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीण होगी।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

7. आरक्षण – भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती।— संवर्ग के 25 प्रतिशत पदों पर समाज कल्याण निदेशालय के योग्यताधारी लेखापाल—सह—रोकड़पाल को प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी। प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि लागू होगी।

9. परिवीक्षा ।— प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा अवधि दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो तो अवधि विस्तार तभी होगा, जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

10. विभागीय परीक्षा |- (i) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम पत्र

सेवा नियमावली ।– बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006), बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2012 तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण।

द्वितीय पत्र

वित्तीय नियमावलीः– कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली।

11. सम्पुष्टि – कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सेवा सम्पुष्ट किया जाएगा।

12. वरीयता ।– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी, परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी ;

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे, जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

परन्तु किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. प्रोन्नति ।– मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी:–

संवर्ग के सदस्यों की सभी प्रोन्नतियों के लिए उन्हें ससमय विभाग⁄सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्ति प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, किन्तु ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने की दशा में उनकी प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

14. संवर्ग का स्तर। – यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।

15. अवशिष्ट मामले ।— ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है; संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. कठिनाई का निराकरण।— सरकार समय—समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. शिथिल करने की शक्ति।— जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

18. निर्वचन ।— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला **सामान्य प्रशासन विभाग** द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

19. निरसन और व्यावृत्ति।— (i) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(ii) इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इस संवर्ग के संदर्भ में लिए गये निर्णयों के संबंध में सभी निर्णय इस नियमावली के अधीन माने जायेगे।

> बिहार–राज्यपाल के आदेश से, रामाशीष पासवान, विशेष सचिव।

The 19th May 2014

No. Estb.-54/2013-2284—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and conditions of service of the Child Protection Officer Cadre within and under control of Social Welfare Directorate under Department Of Social Welfare.

1. Short title, extent and commencement.—(i) These Rules may be called as the Child Protection Officer (recruitment and conditions of service) Rules, 2014.

(*ii*) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette of Bihar.

2. Definitions.— In these Rules, unless the context otherwise requires :-

- (*i.*) "Cadre" means the Child Protection Officer cadre.
- (*ii.*) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission.
- (*iii.*) "Appointing Authority" means Director, Directorate Social Welfare.
- (*iv.*) "Controlling Officer" means Director, Directorate Social Welfare.
- (v.) **"Fixed date"** means the date of commencement of these Rules.
- (vi.) **"Direct Recruitment"** means appointment based on competitive examination held by the 'Bihar Staff Selection Commission'.
- (vii.) "Member" means any person appointed in Child Protection Officer Cadre.
- (viii.) **"Homes"** means homes running under 'Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act' 2000 as amended 2006.
- (*ix.*) **"Government"** means the Government of Bihar.

3. *Cadre structure.*— The cadre structure of Child Protection Officer shall be in administrative control of Directorate, Social Welfare Department and cadre structure of post of different categories of this cadre shall be as mentioned below:-

Sl. No.	Name of grades	Level
(a)	Child Protection Officer	Basic grade
(b)	Senior Child Protection Officer	First promotion Level

Pay Band of the cadre shall be such as determined by the Government from time to time.

4. *Cadre strength.*— The cadre strength shall be such as determined by the Directorate Social Welfare under Social Welfare Department from time to time.

- 5. Recruitment. -
 - (i.) Seventy five Percent (75%) posts of Child Protection Officer shall be filled up through direct recruitment and twenty five percent (25%) shall be filled up by eligible Accountant–cum-Storekeeper of Directorate, Social Welfare.
 - (ii.) All recruitments shall be made to the basic grade of Child Protection Officer on the recommendation of the Commission.
 - (iii.) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the commission by the 30th April.
 - (iv.) The commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of competitive examination shall recommend the name of the candidates in order of merit to the concerned appointing authorities. The validity of the merit list shall be one year from the date of receipt of recommendation.
 - (v.) After the due verification, the appointing authority shall appoint the candidate on probation for a period of 2 years.
- 6. Qualification:-
 - I. The minimum educational qualification shall be Graduation from any recognized university.
 - II. Minimum age for recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as determined time to time by the State Government (General Administration Department).

7. *Reservation.*— Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be necessary.

8. *Recruitment through Promotion.*— Promotion of 25% shall be made amongst eligible Accountant – cum- Storekeeper of Directorate, Social Welfare cadre according to the seniority on the recommendation of Departmental Promotion Committee. A minimum of fixed time period (Kalavadhi) as determined by the General Administration Department shall be necessary for promotion.

9. *Probation.*— Every appointment shall be on probation for two years and in special circumstances it may be extended for further one year by the appointing authority, if the probation period is not found to be satisfactory then Such extension shall be done only if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the person on probation is not found satisfactory even after the expiry of extended period s/he shall be terminated from the service.

10. Departmental examination.-

- i. Departmental examination shall be conducted by the Board of Revenue.
- ii. There shall be two papers in the departmental examination and passing marks for each subject shall be 40%.

Paper.-1:

Service Rules.— Bihar Service Code, Pension Rules, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (as Amended 2006), Bihar Juvenile Justice Rule 2012, and Hindi Noting and Drafting.

Paper.-2:

Financial Rules.— Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, General Provident Fund Rules, Travelling Allowances Rules.

11. *Confirmation.*— The person appointed on probation shall be confirmed after satisfactory completion of probation period and passing the required Departmental Examination.

12. *Seniority.*— Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se seniority decided before notification of these Rules shall remain unchanged.

Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of competitive examination in the concerned recruitment years : -

Provided also that in any recruitment year the person appointed through promotion shall be senior to the direct recruited person appointed through competitive examination in that particular recruitment year.

13. *Promotion*.—Promotion from basic grade to higher grades shall be given on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee constituted by the Social Welfare Department for this purpose.

For every promotion, all candidates would be required to successfully complete the training as specified by the Department/Appointing Authority. If the training programs would not be completed within the specified time, the candidate will not be debarred from the promotions only on this ground.

14. Level of cadre.— This cadre shall be of state level.

15. *Residuary matters.*—Those matters which are not specifically covered by these Rules, the members of this cadre shall be governed by the Rules, Regulations or orders enforced for the appropriate level of the officers/employees of the State Government.

16. *Removal of difficulties.*—If any difficulties arises in giving effect to the provisions of the rules, the government may be general or special order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the said rules as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

17. *Power to relax.*—Where the Government is of the opinion that it is necessary and appropriate to relax the provisions of rules may order by documenting reason for any person or any category.

18. *Interpretation*.—If there is any ambiguity in the interpretation of any provision of these rules, the decision shall be made by Department of General Administration and its decision shall be final.

19. *Repeal & Savings.*— (1) From the date of the provisions of these rules coming into effect, all resolutions, orders, circulars hereinbefore related to this cadre shall be deemed repeal.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under such resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these Rules as if these Rules came into force on the day on which such work was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar, RAMASHISH PASWAN, *Special Secretary*. जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना 23 मई 2014

संo सिंo कोo-222/2013-266- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर एवं पूर्णिया के परिक्षेत्राधीन जन साधारण एवं कृषकों को सूचित करना है कि पूर्वी कोशी मुख्य नहर एवं इससे निसृत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य के अवशेष कार्यों के कार्यान्वयन हेतु गरमा सिंचाई 2014 के दौरान इन नहरों से जलापूर्ति बन्द करना अपरिहार्य हो गया है । अतः इस नहर प्रणाली के कमांड क्षेत्र के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि गरमा सिंचाई 2014 हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेगें । उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है ।

आदेश से,

सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट, 11—571+100-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in